राजस्व वाद 147/2019
जीसीएमएस नंबर– 2019/00198
गिगाराम वगैरह बनाम् नाथाराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 147/2019

वादीगण–

1. गिगाराम पुत्र पुरखाराम
2. परसाराम पुत्र पुरखाराम, जातियान–रेगर, निवासीगण–रोहिणा, तहसील–जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. नाथाराम पुत्र चूनाराम
2. कूम्भाराम पुत्र चूनाराम
3. अर्जुनराम पुत्र घासीराम
4. कानाराम पुत्र घासीराम
5. मंगाराम पुत्र घासीराम
6. ,लिछमणराम पुत्र घासीराम
7. हनुमानराम पुत्र घासीराम
8. हरिकिशन पुत्र घासीराम
9. मोहनी पत्नी घासीराम
10. चूकी पुत्रिया पुरखाराम
11. किशना देवी पुत्री पुरखाराम
12. मंगनी देवी पुत्री पुरखाराम
13. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री मुन्नीलाल कड़वासरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 13 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 28/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के बडेर की पुश्तैनी भूमि मौजा रोहिणा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 511 रकबा 15.10 बीघा रहती चली आई है। जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के 1/2 के रूप में सहखातेदारी में दर्ज है। वाद के साथ नजरीनक्शा भी पेश है जो वाद का ही एक भाग है। पक्षकारान् ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2065 में वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के (क से घ) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादीगण संख्या 1 व 2 गिगाराम व परसाराम के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 511 रकबा 15.10 बीघा में से 3.17 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 नाथाराम, कुम्भाराम के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 511 रकबा 15.10 बीघा में से 3.17 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादीगण संख्या 3 से

28/6/2022
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

9 क्रमश अर्जुनराम, मंगाराम, लिछमणराम, हनुमानराम, हरिकिशन, मोहनी के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 511 रकबा 15.10 बीघा में से 7.14 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा गया है। मौजा रोहिणा के खेत खसरा नंबर 511 रकबा 15.10 बीघा में से 0.2 बिश्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ते हेतु प्रतिवादी संख्या 13 के नाम घोषित की जाकर लाल स्याही से रास्ते की तरमीम अलग से की जावें। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के बीच आपसी बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2,5,6,8,9,13 बावजूद तामिल गैर हाजिर रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 17.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वकालतनामा एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 7 की ओर से अधिवक्ता मुन्नीलाल कड़वासरा ने एंडरटेकिंग दी साथ ही प्रतिवादी संख्या 10, 11, 12 की ओर से अधिवक्ता शिवकुमार पारासर ने वकालतनामा पेश कियाा जो पत्रावली शामिल मिसल किया गया। दिनांक 28.07.2021 को प्रतिवादी संख्या 2, 4 व 7 की ओर से वकील मुन्नीलाल कड़वासरा ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 16.08.2021 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 की ओर से राजीनामा पेश किया गया जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता बस्तीराम ढाका ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की पहचान अधिवक्ता मुन्नीलाल कड़वासरा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। साथ ही वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण अनपढ एवं वृद्व व्यक्ति है। जिससे प्रकरण में तारीख पेशी का ध्यान एवं कोरोना काल की वजह से अधिवक्ता के सम्पर्क नहीं हो जाने के कारण कानूनी जानकारी के अभाव में प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही हो चूकी है जिससे प्रकरण में प्रतिवादी को एक पक्षीय कार्यवाही की जानकारी होने पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। वकील वादी का प्रार्थना पत्र प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार स्वीकार किया गया क्यों कि पक्षकारन् के मध्य राजीनामा हो चुका है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 13 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त है, जो कि वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 द्वारा प्रकरण हाजा में राजीनामा जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 13 राजपैरोकार केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गिगाराम पुत्र पुरखाराम के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम रोहिणा तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 214 प्रदर्श–1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 12 द्वारा राजीनामा जबाब पेश किया जा चुका है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक वाद में वर्णित पैराज माफिक एवं नजरीनक्शानुसार अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 12 द्वारा सहमति स्वरूप राजीनामा पेश होने तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 16.08.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 13 राजपैरोकोर केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा कब्जा काश्त अनुसार अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 ने माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा रोहिणा के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि पक्षकारान् द्वारा वादग्रस्त खेतायों में मौजा रोहिणा के खेत खसरा नं. 511 रकबा 15.10 बीघा बंटवाड़ा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के मध्य चाहा है। पक्षकारान् द्वारा हिस्से विशेष की भूमि का बंटवाड़ा चाहा गया है जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजेन नहीं है अतः मौजा रोहिणा के खेत खसरा नंबर 511 की भूमि पूर्ण रूप से विभाजेन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 24.02.2022 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 24.02.2022 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 3667 दिनांक 01.06.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय / पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी गिगाराम, परसाराम, अर्जुनराम, कानाराम, मंगाराम, हड़मानराम, कुम्भाराम, नाथाराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान हुलासराम, दुलाराम तथा भू.अभि.निरीक्षक तरनाउ की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 10 से 12 के मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 10 से 12 का नियमानुसार

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः मौजा रोहिणा के खेत खसरा नं. 511 रकबा 2.5090 हैक्टेयर की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रोहिणा के खेत खसरा नं. 511 रकबा 2.5090 हैक्टेयर की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादीगण संख्या 1 व 2 गिगाराम व परसाराम के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 511 रकबा 15.10 बीघा में से 3 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 नाथाराम, कुम्भाराम के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 511 रकबा 15.10 बीघा में से 4.15 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादीगण संख्या 3 से 9 कमश अर्जुनराम, कानाराम, मंगाराम, लिछमणराम, हनुमानराम, हरिकिशन, मोहनी के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 511 रकबा 15.10 बीघा में से 7.15 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 10 से 12 के मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 10 से 12 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प डयूटी जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 28/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
जायल

राजस्व वाद 147 / 2019
जीसीएमएस नंबर– 2019 / 00198
गिगाराम वगैरह बनाम् नाथाराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 147 / 2019

वादीगण–

1. गिगाराम पुत्र पुरखाराम
2. परसाराम पुत्र पुरखाराम, जातियान–रेगर, निवासीगण–रोहिणा, तहसील–जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. नाथाराम पुत्र चूनाराम
2. कूम्भाराम पुत्र चूनाराम
3. अर्जुनराम पुत्र धासीराम
4. कानाराम पुत्र धासीराम
5. मंगाराम पुत्र धासीराम
6. ,लिछमणराम पुत्र धासीराम
7. हनुमानराम पुत्र धासीराम
8. हरिकिशन पुत्र धासीराम
9. मोहनी पत्नी धासीराम
10. चूकी पुत्रिया पुरखाराम
11. किशना देवी पुत्री पुरखाराम
12. मंगनी देवी पुत्री पुरखाराम
13. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री मुन्नीलाल कड़वासरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 13 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की ओर से अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासरा व प्रतिवादी संख्या 13 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाकर –यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रोहिणा के खेत खसरा नं. 511 रकबा 2.5090 हैक्टेयर की भूमि का विभाजन पक्षकारान् / सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादीगण संख्या 1 व 2 गिगाराम व परसाराम के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 511 रकबा 15.10 बीघा में से 3 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

28/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

2. प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 नाथाराम, कुम्भाराम के सामलाती हक बंट कब्जा क मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 511 रकबा 15.10 बीघा में से 4.15 नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादीगण संख्या 3 से 9 कमश अर्जुनराम, कानाराम, मंगाराम, लिछम हनुमानराम, हरिकिशन, मोहनी के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रो का खेत खसरा नंबर 511 रकबा 15.10 बीघा में से 7.15 बीघा नजरीनक्शानुसार गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 10 से 12 के मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई इसलिये प्रतिवादी संख्या 10 से 12 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प डयूटी करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
6. बैंक के रहन खसरान के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 28/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा					
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर० तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

28/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)